सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2018 / 1 दर्ज तिथिः–17.01.2018

वादी		प्रतिवादी
बाबूलाल	बनाम	प्रेमचन्द आदि
जरिये अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी		एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–09
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–22.12.2025

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88 प्रार्थना–पत्र संख्या 130 / 1988 अनुवान बाबूलाल बनाम प्रेमचन्द निर्णय दिनांक 14.08.2003 को वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रिस्टोर किये जाने निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है:–

- प्रार्थीगण के पिता / पति स्व. सीताराम ने एक दावा कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 692 व 786 के संबंध में खातेदारी के घोषणा हेतु पेश किया था जिसकी पैरवी प्रार्थीगण के पिता / पति स्वर्गीय सीताराम लगातार करते रहे दिनांक 14.04.2003 को प्रार्थीगण के पिता / पति की मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के संबंध में दिनांक 14.08.2003 की आदेशिका में भी अंकन किया हुआ है उसके पश्चात पत्रावली वादी के कायम मुकाम बनाने हेतु चलती रही व दिनांक 16.12.2003 को प्रार्थीगण के पिता / पति के अधिवक्ता द्वारा नो इन्सट्रेक्शन कर दिया गया, जिसके आधार पर उक्त दावा खारिज हो गया।
- वादगत कृषि भूमि के संबंध में विवाद होनेपर प्रार्थी संख्या 1 ता 4 को सोहनलाल, की मृत्यु के अपराध में आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसके वाद सजा के दौरान ही प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता की मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण जैल में होने के कारण उक्त प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क करके मुकदमा में आगे कार्यवाही नहीं कर सके। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के जैल में रहने के दौरान प्रार्थीगण का भविष्य ही चौपट हो गया। उक्त मुकदमा की कार्यवाही का भी प्रार्थीगण को पता नहीं चला। प्रार्थी संख्या 5 [illegible] शीन औरत है, उसको मुकदमा की कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि [illegible] ही संभालते थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:56 IST
Reason: SelfAttested

- प्रार्थीगण जले से रिहा होने के पश्चात अपनी पुरानी खोई हुई व्यवस्था वापस जमाने में भाग दौड़ करते रहे। प्रार्थीगण अपने जीवन को व्यवस्थित करने, जीवन बचाने में व्यस्थ हो गये। प्रार्थीगण के रिश्तेदार ने उक्त प्रकरण की नकल निकालवाकर दिनांक 26.12.17 को बताया कि उक्त प्रकरण नो इन्सट्रेशन के आधार पर दिनांक 16.12.2003 को खारिज हो चुका है।
- प्रार्थीगण दिनांक 16.12.2003 को जेल में होने के कारण उपस्थित नहीं आ सके तथा ना ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सके जिस कारण उनके अधिवक्ता ने नो इन्स्ट्रेक्शन के आधार पर दावा खारिज करवा दिया। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को वकील वादी द्वारा इन्स्ट्रेक्शन जारी करने के पश्चात किसी प्रकार के कोई नोटिस जारी नहीं किये गये, जबकि प्रार्थीगणको उक्त प्रकरण के नोटिस दिये जाने आवश्यक थे जिस कारण बिना जानकारी के उक्त दावा खारिज हो गया। उक्त दावा को वापिस रिस्टोर नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय से महरूम रह जावेगे। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का दावा रिस्टोर किया जाकर अर्थात बाजवे नम्बर पर लेकर पुनः सुनवाई करने की कृपा करें ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके।
- प्रार्थीगण का यह रिस्टोर करवाने का प्रार्थना–पत्र उचित कोर्ट फीस न्यायालय में पेश है। प्रार्थना–पत्र सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। उक्त प्रार्थना–पत्र सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.12.2017 से अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। फिर भी कोई नुकस नहीं रहे। जिस हेतु मियादह माफी का प्रार्थना–पत्र संलग्न किया जा रहा है।

  अतः रिस्टोर प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अदालत वाला का आदेश दिनांक 16.12.2003 को निरस्त करते हुये प्रार्थीगण का दावा संख्या 130/1988 को पुनः बाजवे नम्बर पर लेकर सुनवाई की जावे।
- प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम उपरोक्त प्रकरण में वादगत भूमि के संबंध में विवाद होने पर प्रार्थी संख्या 1 ता 4 को सोहनलाल की मृत्यु के अपराध मं आजीवन कारावास की सजा हो गई,उसके बाद सजा के दौरान ही प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता की मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण जेल में होने के कारण उक्त प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क करके मुकदमा में आगे की कार्यवाही नहीं कर सके। प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के जेल में रहने के दौरान प्रार्थीगण का भविष्य ही चोपट हो गया। प्रार्थीगण 5 पर्दानशीन औरत है उसको मुकदमा की कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि उक्त प्रकरण को प्रार्थीगण के पिता ही संभालते थे।
- प्रार्थीगण जेल से रिहा होने के पश्चात अपनी पश्चात अपनी पुरानी खोई हुई व्यवस्था वापस जमाने जमाने में भाग दौड करते रहे। प्रार्थीगण अपने जीवन को व्यवस्थित करने, जीवन को बचाने में व्यवस्थ हो गये। प्रार्थीगण के रिश्तेदार ने उक्त प्रकरण की निकालवाकर दिनांक 26.12.2017 को बताया कि उक्त प्रकरण नो इनस्ट्रेशन के आधार पर दिनांक 16.12.2003 को खारिज हो चुका है। जिस पर अविलम्ब दिनांक 26.12.17 को उक्त निर्णय से व्यथीत होकर प्रार्थना–पत्र प्राथम जानकारी दिनांक 26.12.17 से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त देरी जानबुझकर नहीं की गई है बल्कि बवजह मजबुरी रही है। उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय से महरूम रह जावेगी तथा प्रार्थीगण के साथ न्याय नहीं हो सकेगा।

  अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र की सुनवाई की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:56 IST
Reason: SelfAttested

- प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 17, 19, 20 का स्वर्गवास हो जाने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 के एकमात्र पुत्र विधिक वारिस होने एवं प्रतिवादी संख्या 17, 19, 20 के लाऔलाद फौत हो जाने से प्रार्थी द्वारा पेश प्रा. पत्र स्वीकार करने योग्य प्रतीत होती है। अतः प्रा. पत्र ऑर्डर 22 नियम 4 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम के आगे स्व. शब्द अंकित किया जाकर उसके कायम मुकाम जुगलकिशोर को अप्रार्थी सं. 1/1 पक्षकार बनाने का आदेश दिया जाता हैं। अप्रार्थीगण पर तामील जरिये अखबार विधिवत हो चुकी है परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थीगण को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गइ। परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहे अतः अप्रार्थी संख्या 1/1 से 16 तक पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अदालत वाला का आदेश दिनांक 16.12.2003 को निरस्त करते हुये प्रार्थीगण का दावा संख्या 130/1988 को पुनः बाजवे नम्बर पर लेकर सुनवाई की जावे।
- पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अदालत वाला का आदेश दिनांक 16.12.2003 को निरस्त करते हुये प्रार्थीगण का दावा संख्या 130/1988 को पुनः बाजवे नम्बर पर लेकर सुनवाई की जावे।
- आज प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–09 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा धारा–5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख से विदित है कि मूल वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 88 प्रार्थना–पत्र संख्या 130/1988 अनुवान बाबूलाल बनाम प्रेमचन्द खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 16.12.2003 को अधिवक्ता द्वारा नो–इन्स्ट्रक्शन दिये जाने के कारण खारिज हो गया। प्रार्थीगण का कथन है कि उस समय प्रार्थी संख्या 1 से 4 जेल में निरुद्ध थे, मूल वादी/पिता का देहान्त हो चुका था तथा प्रार्थी संख्या 5 पर्दानशीन महिला होने से वाद की कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी। यह भी तथ्य सामने आया है कि प्रार्थीगण को वाद खारिज होने की जानकारी दिनांक 26.12.2017 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात यथाशीघ्र वर्तमान प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण को समाचार–पत्र द्वारा विधिवत तामील कराई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उक्त पत्रावली में खारिज होने की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में किसी पक्षकार के विरूद्ध सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए की गई अग्रिम कार्यवाही से पीड़ित पक्षकार द्वारा न्यायालय द्वारा की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए सुनवाई का अधिकार देने हेतु अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रस्तुत कर न्यायालय को संतुष्ट करते हुए न्यायालय से की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:56 IST
Reason: SelfAttested

- मूल वाद दिनांक 16.12.2003 को खारिज हुआ, जबकि रिस्टोर प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.12.2017 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार लगभग 14 वर्षों का अत्यधिक विलम्ब है। जेल में होना, पारिवारिक कठिनाइयाँ अथवा मुकदमे की जानकारी न होना यह कारण सामान्य, अस्पष्ट एवं असंतोषजनक हैं। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अधिवक्ता द्वारा नो–इंस्ट्रक्शन दिया जाना वादी की जिम्मेदारी से विमुक्त नहीं करता। वादी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने वाद की नियमित रूप से जानकारी रखे। धारा 05 मियाद अधिनियम के अंतर्गत विलम्ब माफी कोई अधिकार नहीं, बल्कि न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण न्यायालय को यह संतुष्ट करने में असफल रहे हैं कि विलम्ब अनिवार्य परिस्थितियों में हुआ है। लगभग 14 वर्षों बाद वाद को पुनर्जीवित करना विधिक स्थिरता के सिद्धांत के प्रतिकूल है तथा इससे प्रतिवादीगण के स्थापित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण सिद्ध नहीं किया गया है। आदेश 09 नियम 09 CPC के अंतर्गत रिस्टोर का कोई औचित्य नहीं बनता। धारा 05 मियाद अधिनियम के अंतर्गत विलम्ब माफी योग्य नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 व धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत देरी माफी का प्रार्थना–पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है। फलस्वरूप, वाद संख्या 130/1988 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2003 यथावत् प्रभावी रहेगा।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:56 IST
Reason: SelfAttested